न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 04/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/40

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री कान्तिलाल/ भोगजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत पाडला, भाग प्रथम, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 23–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री कान्तीलाल/ भोगजी ग्राम पाडला तहसील घाटोल में, ग्राम पंचायत पाडला भाग प्रथम (अस्थाई कार्य ग्राम पंचायत भुंगडा भाग द्वितीय) के उचित मुल्य दुकानदार की जांच श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल द्वारा दिनांक 04.04.2020 को जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार डीलर कान्तिलाल द्वारा माह अप्रेल 2020 में कोविड–19 जन्य परिस्थितियों में खाद्य विभाग द्वारा दी गई छुट का दुरुपयोग करते हुए बिना बायोमेट्रीक सत्यापन एवं बिना ओटीपी के पोस मशीन संख्या 5918 में राशनकार्ड नंबर दर्ज एवं फर्जी ट्रांजेक्शन कर 799 उपभोक्ताओ को भौतिक रुप से गेहूँ नही देकर कुल 183.01 क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। इस पर डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 16/2020 दर्ज किया जाकर प्राधिकार पत्र दिनांक 15.04.2020 को निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब नही देने पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। परन्तु डीलर द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। डीलर [illegible] क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग करना पाये जाने पर उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत 183.01 क्विं गेंहूँ का गबन व दुरुपयोग करने एवं कालाबाजारी करने के कारण भुंगडा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 30 दिनांक 17.04.2020 दर्ज करवाई गई। यद्यपि एफआईआर में 184.56 क्विं. गेहूँ के गबन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

रिपोर्ट दर्ज की गई है। 9 उपभोक्तओ को वितरीत गेहूँ की दोहरी गणना होने के कारण 1.55 क्विं. अधिक गेहूँ के गबन की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाकर दिनांक 10.03.2022 को अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 844/1996 को निरस्त कर दिया गया। उक्त गबन किये गये 183.01 क्विं. गेहूँ की कीमत प्रति क्विं. 2700/– की दर से राशि रु. 494127/– बनती है। उक्त गेहूँ की कुल राशि 494127/– रुपया श्री कान्तिलाल/ भोगजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत पाडला, भाग प्रथम, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा से वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर रुपया 494127/– वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी पेशी दिनांक 07.08.2024, 28.08.2024, 11.09.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हाने व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 11.09.2024 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 23–10–2024 को विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि श्री कान्तिलाल/ भोगजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत पाडला, भाग प्रथम, अस्थाई कार्य ग्राम पंचायत भुंगडा भाग द्वितीय तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा की जांच श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल द्वारा दिनांक 04.04.2020 को की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार डीलर कान्तिलाल द्वारा माह अप्रेल 2020 में कोविड–19 जन्य परिस्थितियों में खाद्य विभाग द्वारा दी गई छुट का दुरुपयोग करते हुए बिना बायोमेट्रीक सत्यापन एवं बिना ओटीपी के पोस मशीन संख्या 5918 में राशनकार्ड नंबर दर्ज एवं फर्जी ट्रांजेक्शन कर 799 उपभोक्ताओ को भौतिक रुप से गेहूँ नही देकर कुल 183.01 क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। उक्त [illegible] गये 183.01 क्विं. गेहूँ की कीमत प्रति क्विं. 2700/– की दर से राशि रु. 494127/– बनती है। उक्त [illegible] की कुल राशि 494127/– रुपया श्री कान्तिलाल/ भोगजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत [illegible]ला, भाग प्रथम, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा से वसूली किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि श्री कान्तीलाल/ भोगजी ग्राम पाडला तहसील घाटोल में, ग्राम पंचायत पाडला भाग प्रथम (अस्थाई कार्य ग्राम पंचायत भुंगडा भाग द्वितीय) के उचित मुल्य दुकानदार की जांच श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल द्वारा दिनांक 04.04.2020 को जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार डीलर कान्तिलाल द्वारा माह अप्रेल 2020 में कोविड–19 जन्य परिरिथितियों में खाद्य विभाग द्वारा दी गई छुट का दुरुपयोग करते हुए बिना बायोमेट्रीक सत्यापन एवं बिना ओटीपी के पोस मशीन संख्या 5918 में राशनकार्ड नंबर दर्ज एवं फर्जी ट्रांजेक्शन कर 799 उपभोक्ताओ को भौतिक रुप से गेहूँ नही देकर कुल 183.01 क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग करना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। 183.01 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 494127/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री कान्तिलाल/ भोगजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत पाडला, भाग प्रथम, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 183.01 क्विं. गेहूँ की राशि रु. 494127/– अक्षरे रुपया चार लाख चोरानवे हजार एक सौ सत्ताइस की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested